BSNL EMPLOYEES UNION

Main Recognised Representative Union in BSNL

(Regd. under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No. 4896)

B.S. RAGHUWANSHI
Circle President
Mob. 9424635999

BSNLEU

PRAKASH SHARMA
Circle Secretary
Mob. 9425076677

No. BSNLEU/Problems/2018-19/8 **Dated : 06.06.2018**

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार
भारत संचार निगम लिमिटेड
मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल
भोपाल

विषय : **विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण विषयक।**

माननीय महोदय,

मैं कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जो विगत समय से लंबित है। लगभग सभी समस्याएँ सामान्य स्वरुप की है किन्तु प्रबंधन द्वारा इनके निराकरण में अनावश्यक रुप से विलंब किया जा रहा है। फलस्वरुप संबंधित कर्मियों में रोष मिश्रित निराशा व्याप्त है जिसका सीधा विपरीत प्रभाव कर्मचारियों की कार्यदक्षता व क्षमता पर होता है। अत: सभी समस्याओं का त्वरित संज्ञान लिया जाना बेहद जरुरी है।

1. **सतना में त्रुटिपूर्ण किराया भुगतान पर कार्यवाही में विलंब** :

सतना में लेखाअनुभाग द्वारा चूंद दूरभाष केन्द्र के मकान मालिक को रु. 90 लाख का त्रुटिपूर्ण भुगतान कर दिया गया था जबकि भुगतान योग्य राशि महज रु. 9000/- थी। इस अनियमितता को हमारे जिला सचिव द्वारा प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया। परिमंडल सचिव द्वारा भी पत्र लिखे गए हैं। आपके द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद विजिलेंस जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। किन्तु सतना प्रबंधन द्वारा इस गंभीर प्रकरण को दबाने के प्रयास किये जा रहे हैं। परिमंडल कार्यालय के कुछ अधिकारी इस मामले को रफादफा करने हेतु प्रयासरत हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस गंभीर अनियमितता में लिप्त संबंधितों पर कार्यवाही करने की बजाय सतना के हमारे जिला सचिव कॉ. योगेश शर्मा, जिन्होने इस प्रकरण को उजागर किया, को ही झूठे प्रकरण से संबद्ध कर प्रताडनात्मक कार्यवाही कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से प्रबंधन द्वारा इस अनियमितता में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही, हमारे जिला सचिव सतना द्वारा विभिन्न आर्थिक व प्रशासनिक अनियमितताओं को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। त्वरित संदर्भ हेतु पत्र संलग्न है। जिला सचिव कॉ. योगेश शर्मा को प्रशासन द्वारा लगाए गए **फ्रेम्ड आरोपों** से मुक्त किया जाए।

2. **जबलपुर प्रबंधन द्वारा स्पेशन सीएल स्वीकृति से संबंधित मनमाने आदेश निरस्त हो** :

जबलपुर प्रबंधन द्वारा पत्र क्र.**GMTD-Jbl/Special CL/17-18/163** दिनांक 12.03.2018 जारी कर यह निर्दे श दिए गए हैं कि स्पेशल सीएल केवल उन कर्मचारियों को ही स्वीकृत की जाएगी जिनके वेतन से यूनियन सब्स्क्रिपशन की कटौती होती है। यह आदेश पूर्णत: निराधार है। इसी के तहत बीएसएनएलईयू की सदस्या श्रीमती वंशिका विश्वकर्मा को 2016-2017 में विभिन्न यूनियन आयोजनों में शिरकत करने हेतु स्वीकृत स्पेशल सीएल निरस्त कर उनसे 18 दिन का अर्जित अवकाश आवेदन लिया गया है। यह दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही है। प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि श्रीमती वंशिका ने **NFTE** का सदस्यता फार्म भी दिया है। इसके जवाब में श्रीमती वंशिका विश्वकर्मा ने लिखित रुप से स्पष्ट किया है कि वे केवल **BSNLEU** की ही सदस्य है और उनके द्वारा केवल **BSNLEU** के सदस्यता फार्म पर ही हस्ताक्षर किए गए हैं । इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समसंख्यक पत्र दि. 21.03.2018 का पूर्ण विवरण हेतु अवलोकन करें।

उपर्युक्त प्रकरण में हमारी मांग है कि :-

- जबलपुर प्रबंधन द्वारा जारी पत्र दि. 12.03.2018 निरस्त किया जाए।
- श्रीमती वंशिका विश्वकर्मा को पूर्व में स्वीकृत स्पेशल सीएल को निरस्त कर उनके लिव एकाउंट से डिडक्ट की गई **EL** पुन: उनके एकाउंट में क्रेडिट की जाए।

अविरत् ....

- जाली हस्ताक्षर कर प्रस्तुत मेंबरशिप फॉर्म की जांच कर दोषी पर कार्यवाही की जाए।

3. **<u>टीडीई दमोह का तानाशाहीपूर्ण रवैया</u>** :

टीडीई दमोह श्री अजय दुबे बीएसएनएल एम्प्लॉईज यूनियन के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए हैं । हमारे जिला सचिव द्वारा प्रस्तुत समस्याओं / सुझावों के पत्रों को उनके द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा है और न ही टीडीई द्वारा हमारे जिला सचिव से किसी भी प्रकार की चर्चा की गई है। उनके इस अडियल तानाशाहीपूर्ण रवैये की वजह से ही दमोह के स्टोर में आग लगी थी। जिला सचिव बीएसएनएलईयू दमोह के पत्र में दिए गए सुझावों पर अगर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाता तो संभव है आगजनी नहीं होती।

कर्मचारियों की समस्याओं की श्री दुबे अनदेखी कर रहे हैं। ग्राम हटा से दमोह स्थानांतरित श्री आर.पी. राठौर, टीटी को 2 वर्ष तक उन्होने रिलीव नहीं किया। श्री राठौर 18 वर्ष से हटा में कार्यरत है। टीडीई दमोह से अनुरोध करने पर वे यह कहने में भी संकोच नहीं करते हैं कि - ''जाओ, सीजीएम से करवा लो।''

यह हद दर्जे की मनमानी है। इस हठधर्मिता के चलते दमोह में सदस्यों में रोष व्याप्त है। दमोह कार्यालय में दो बार चोरी की घटना हो चुकी है। पहली बार चोरी की घटना हुई, चोर दिवाल तोड कर कार्यालय में घुसे, 6 ताले तोडे गए, प्रबंधन ने एफआयआर नहीं की, दिवाल बनवा दी। चोरों ने इसका लाभ उठा कर पुन: दिवाल तोडकर चोरी की। हमारे जिला सचिव द्वारा इस संबंध में एफआयआर करवाने के निवेदन को भी TDE श्री दुबे ने अस्वीकार कर दिया है। दमोह कार्यालय पूर्व में किराए के भवन में कार्यरत था। वह कार्यालय अब खाली कर दिया गया है। किन्तु वहाँ पर लगा हुआ लाखों रु. का जनरेटर मकान मालिक द्वारा नहीं दिया जा रहा है। श्री दुबे, टीडीई इस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह टीडीई की मनमानीपूर्ण कार्यशैली की वजह से बीएसएनएल को हमारी जर्जर आर्थिक स्थिति के समय लाखों का नुकसान हुआ है। इसकी निष्पक्ष जांच कर यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। बार बार चोरी की घटना होने पर भी FIR न करवाने के पिछे TDE महोदय की क्या मंशा थी, यह मुद्दा जांच में अहम होना चाहिए।

4. **<u>म्यूच्यूअल ट्रांसफर रुल 8 ट्रांसफर व रिलिविंग</u>** :

- प्रबंधन द्वारा परिमंडल स्तर पर नीति बनाकर जेई केडर में चयनित कर्मियों की होम टाउन से काफी दूरी पर स्थित एसएसए में पदस्थापना की गई है। बीएसएनएलईयू इस नीति का विरोध करती है। कार्पोरेट ऑफिस से भी इस आश्य के कोई आदेश नही है। इस नीति के चलते जेई केडर में कुछ म्यूच्यूअल ट्रांसफर के आदेश लंबित है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से आदेश करने हेतु निर्देशित करें।
- जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं उन्हे रिलीव किया जाए।
- रुल 8 अंतर्गत लंबित स्थानांतरण आवेदनों पर कार्यवाही कर आदेश जारी किए जाए।

5. **<u>टेम्पररी स्टेट्स मजदूर का दर्जा पूर्व दिनांक से देने विषयक</u>** :

कार्पोरेट ऑफिस द्वारा एक वर्ष में 240/206 दिन की सर्विस पूर्ण करने पर CAT के आदेश से री-एंगेज किए गए आकस्मिक मजदूरों को टेम्पररी स्टेटस मजदूर का दर्जा देने बाबद निर्देश जारी किए गए थे। जबलपुर के तीन TT सर्वश्री संतोष कुमार सैनी, उमाशंकर दुबे, रामसुमेर कोरी ने उपर्युक्त आदेश अनुसार अगस्त 2000 से टेम्पररी स्टेटस मजदूर का दर्जा देने हेतु निवेदन किया है। उन्हे यह दर्जा अक्टूबर 2000 से दिया गया है। महाप्रबंधक दूरसंचार, जबलपुर को इस संबंध में उचित सकारात्मक कार्यवाही शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया जाए।

6. **<u>केशलेस मेडिकल सुविधा :</u>**

पूर्व में मध्यप्रदेश परिमंडल में केशलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी। यकायक इस सुविधा को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ हॉस्पिटल द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग से मेडिकल रिईबंर्समेंट के खर्च में वृद्धि हुई है, इसलिए यह सुविधा बंद की गई है। यदि ऐसा है, तो यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। प्रबंधन को ऐसे हॉस्पिटल को बैन किया जाना चाहिए जिनके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

मेडिकल एडवांस स्वीकृति की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। ऐसे में केशलेस मेडिकल सुविधा परिमंडल में पुन: बहाल की जाए।

7. **<u>खंडवा व रतलाम में ट्रांसफर आदेश में नियमों की अनदेखी</u>** :

खंडवा के टीडीएम द्वारा ट्रांसफर हेतु उपलब्ध नियमों की अनदेखी कर कतिपय तत्वों के दबाव में प्रथम मान्यता प्राप्त यूनियन को विश्वास में लिए बगैर 20 से अधिक कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं । बीएसएनएलईयू TDM महोदय की इस मनमानीपूर्ण कार्यशैली का विरोध करती है। कुछ ऐसा ही रतलाम में भी हुआ है। हमारी मांग है कि प्रथम मान्यता प्राप्त युनियन से चर्चा कर त्रुटिपूर्ण ट्रांसफर आदेश निरस्त करने हेतु उचित निर्देश परिमंडल कार्यालय से जारी किए जाए।

अविरत् ....

8. **जबलपुर के मोटर ड्रायव्हर्स के प्रमोशन प्रकरण** :

जबलपुर में कार्यरत मोटर ड्रायव्हर्स के प्रमोशन प्रकरण वांछित जानकारी व क्लेरीफिकेशन के साथ परिमंडल कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं । यथोचित कार्यवाही शीघ्र अपेक्षित है। छिंदवाडा के भी प्रकरण लंबित है।

9. **परिमंडल कार्यालय से टी.टी. के स्थानांतरण पर रोक** :

परिमंडल कार्यालय से बडी संख्या में TT के ट्रांसफर आदेश हो चुके है। शेष बचे TT को परिमंडल कार्यालय में ही समाहित किया जाए। परिमंडल कार्यालय में कार्यरत TT के लांगेस्ट स्टे की सूची भी त्रुटिपूर्ण है। इसमें सुधार किया जाए।

10. **मेडिकल बिल्स की भुगतान प्रक्रिया में विलंब** :

मेडिकल बिल्स की भुगतान प्रक्रिया में काफी विलंब होता है। इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से बिल सबमिट करने की अंतिम तिथि निर्धारित है, उसी तरह बिल सबमिट करने के पश्चात भुगतान की अधिकतम सीमा का भी निर्धारण होना चाहिए। अनावश्यक विलंब के प्रकरणों में जिम्मेदारी भी फिक्स हो। लंबित बिल सेंक्शन किए जाए।

11. **कन्फरमेशन के प्रकरण** :

विभिन्न केडर में कन्फरमेशन के प्रकरण लंबित है। इनमें से कुछ कर्मचारियों की 2018 में सेवानिवृत्ति भी होना है। सभी के कन्फरमेशन हेतु अविलंब कार्यवाही की जाए। 19.01.2018 को संपन्न कौंसिल की मीटिग में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। किन्तु कार्यवाही अपेक्षित है।

12. **सफाई व्यवस्था व एमेनिटीज की उपलब्धता** :

सफाई व्यवस्था व मूलभूत सुविधाएँ, पेयजल की उपलब्धता हेतु यथोचित निर्देश जारी करें। परिमंडल कार्यालय को छोडकर सभी एसएसए में इनका अभाव है।

13. **व्यक्तिगत प्रकरण** :

1) श्रीमती इकबाल कौर भसीन, ओएस, जबलपुर का दुर्भावनापूर्ण स्थानांतरण किया गया है। इस दौरान उन्हे पीलिया हो जाने से अवकाश पर रहने के कारण प्रबंधन ने उन्हे मानसिक रुप से काफी प्रताडित भी किया है। श्रीमती भसीन के Child Care Leave स्वीकृति में भी संबंधित अधिकारी का रवैया अमानवीय रहा। उनका अप्रैल 2018 का वेतन रोक दिया गया, मेमो दिया गया, पीलिया जैसी गंभीर बिमारी से ग्रसित होने के बावजूद उन्हे मानसिक प्रताडना दी गई। यह सबकुछ एक अधिकारी की श्रीमती भसीन के प्रति दुर्भावना की वजह से हुआ। एक महिला कर्मचारी की मानसिक प्रताड़ना की जांच की जाए व उनका स्थानांतरण निरस्त किया जाए।

2) श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, ADS छतरपुर का दो वर्षो से 2014-15 की छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है। निराकरण करवाएं।

3) श्रीमती मीना कुर्मी ATT जबलपुर की जन्म दिनांक में सुधार हेतु दिए गए निवेदन आवेदन पर कार्यवाही नही हुई है। शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

4) श्री शाकिर बेग, TT भोपाल का बुदनी ट्रांसफर किया गया, प्रबंधन उन्हे अपनी आवश्यकतानुसार भोपाल बुलाकर काम करवाता रहा। उन्हे डेप्यूटेशन एलाउंस भी नही दिया गया, HRA भी रुरल का ही दिया गया। जब भोपाल ट्रांसफर की बारी आयी तो कहा जा रहा है कि टेन्युअर पूर्ण नहीं हुआ है। इस संबंध में परिमंडल कार्यालय को क्लैरिफिकेशन हेतु प्रकरण भोपाल GMTD द्वारा भेजा गया है। न्यायसंगत निर्णय शीध्र लिया जाए।

5) श्री बी.एम. सोनपराते, ए.एस.(जी), बैतूल को अचानक हद्याघात होने से नागपूर उपचार हेतु ले जाया गया। इसलिए ऑनलाइन अवकाश आवेदन नही किया जा सका। कर्मचारी द्वारा SR-I नियंत्राण अधिकारी को दे दिया गया था। त्रुटिवश अनुभाग द्वारा ERP में दर्ज नहीं किया जा सका। अब 23.4.2018 को दर्ज कर बिल भुगतान हेतु अनुशंसित कर दिया गया है। क्लेम स्वीकृत किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मुद्दों के सकारात्मक रुप से निराकरण हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें।

आदर सहित...

भवदीय,

प्रकाश शर्मा
परिमंडल सचिव

प्रतिलिपि :

1. परिमंडल अध्यक्ष, बीएसएनएलईयू
2. महासचिव, बीएसएनएलईयू